प्रार्थना पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,
श्री विजयनगर।

1. साहब सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 37 जी.बी. हाल निवासी 14 Irving Crescent, Gulph, Ontario, Canada जरिये मुखत्यार आम करणी सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 37 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

-प्रार्थी-

वनाम

1. जगनन्दन सिंह पुत्र श्री दमन सिंह जाति जटसिख निवासी 37 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. गुरनन्दन सिंह पुत्र श्री दमन सिंह जाति जटसिख निवासी 37 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्री विजयनगर।

-अप्रार्थीगण-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्रीमानजी,

प्रार्थी निम्न निवेदन करता है कि :-

1. यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त अनवानी वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है। जिसके कामयाव होने की पूरी पूरी आशा है। इस प्रार्थना पत्र को वाद पत्र का अभिन्न अंग समझा जाकर वाद पत्र के साथ पढ़ा जावे।

2. यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता में भूमि वाके चक 37 जी.बी. (वी) का मु.नं. 6 प.नं. 182/431 का किला नं. 1 ता 15 का 3.554 है. एवं मु. नं. 27 प.नं. 186/434 का किला नं. 5 ता 7, 14 ता 19, 21 ता 25 का 2. 386 है. वा मु.नं. 29 प.नं. 186/435 का किला नं. 4 ता 6, 7/1, 15/1, 16/1, 25/1 का 1.504 है. कुल 7.444 है. भूमि नाली दोयम मय खाला खातेदारी खाता संख्या 9 में दर्ज है उपरोक्त भूमि में मु.नं. 6 प.नं. 182/431 का किला नं. 5 में व मु.नं. 29 प.नं. 186/435 का किला नं. 5 व 25/1 में ट्यूबवैल कुल तीन ट्यूबवैल लगे हुए है उपरोक्त रकबा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है उपरोक्त भूमि के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है एवं इसमें स्थापित ट्यूबवैल भी संयुक्त है एवं उपरोक्त भूमि एवं ट्यूबवैल

लगातार........2

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की जो इस हुक्म की तामिल में जारी किये
13.6.19	पत्रावली पेश। बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा है अतः पत्रावली दि. 20.8.19 को पेश हो।	
20/8/19	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी के वकालतनामा हेतु पत्रावली दिनांक 26/8/19 को पेश हो।	
26/8/19	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में [illegible] /मुख्यालय से बाहर पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 27/8/19 को पेश हो।	
27.8.19	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं। ना ही प्रार्थी स्वयं उपस्थित। बार-2, दफा-2 कर आवाजें लगाई गई, लेकिन कोई उपस्थित नहीं आया। अतः पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया प्रियंका तलानिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

Scanned by CamScanner